Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
11	12
By promotion	Promotion from amongsts Peons in the Department of Chemicals and Petrochemicals, who have rendered at least two years regular services in the grade.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
Departmental Promotion Committee (for considering Promotion) :— 1. Under Secretary (Estt.) —Chairman 2. Section Officer, Department of Fertilizers —Member 3. Section Officer (Estt.), Department of Chemicals and Petrochemicals —Member	Not applicable

[No. A-12011/3/2000-Estt.]

R. P. VASISHTHA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2002

सा.का.नि. 507 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आर्युविज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ में आचार्य (भेषज गुण विज्ञान), उपाचार्य (भेषज गुण विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज गुण विज्ञान) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (भेषज गुण विज्ञान), उपाचार्य (भेषज गुण विज्ञान), और ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज गुण विज्ञान), (समूह "क" राजपत्रित पद) भर्ती नियम 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता :—वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1 आचार्य (भेषज गुण विज्ञान)	1*(2002) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	18600-500-22100 रु. जमा प्रैक्टिसबंदो भत्ता—केवल आयुर्विज्ञान स्नातकों के लिए

चयन योग्यता या चयन-सह-ज्येष्ठता के आधार पर या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	50 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,	जो हां

अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

टिप्पण 1 :—ज्येष्ठ प्राध्यापकों, उपाचार्यों और आचार्यों की श्रेणियों में आयुर्विज्ञान अर्हताओं वाले अध्यापकों की संख्या, इन श्रेणियों में पदों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 :—जहां आचार्य के पद को विभागाध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है, वहां केवल मान्यताप्राप्त आधारिक विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान उपाधि अर्हता या समतुल्य अर्हता वाले अध्यापकों की उस पद पर नियुक्ति की जाएगी ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि
(8)	(9)	(10)
आवश्यक : 1 क(i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की किसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और वह किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो । क(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम डी (चिकित्सीय गुण विज्ञान)/पी. एच. डी. (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान) के साथ एम बी बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम एस सी (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान) या समतुल्य ख (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी एच. डी. (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान)/डी. एस. सी. (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान) या समतुल्य ।	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।

8

2. स्नातकोत्तर अर्हता अर्जित करने के पश्चात् उस वृत्ति में 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से चार वर्ष किसी मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में उपाचार्य/सहआचार्य के रूप में होना चाहिए ।

टिप्पण 1 .—अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं ।

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

वांछनीय : कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन जो इंडैक्स मैडीकस/राष्ट्रीय जर्नलों में तथा एक अनुसंधान प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में अनुक्रमणिका बद्ध हो ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) 1. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या (ii) जो 16400-20000 रु. के वेतनमान या समतुल्य में के पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा कर चुके हैं ; और (ख) जो स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं रखते हैं । 2. उपाचार्य (भेजष गुण विज्ञान) की श्रेणी का ऐसा विभागीय अधिकारी जो उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा कर चुका है पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा । यदि उसका उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा ।

(12)

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर–बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु–सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) :— 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन —अध्यक्ष 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)
2. उपाचार्य (भेषज गुण विज्ञान)	1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	16350-450-18600-500-20100 रु. जमा प्रैक्टिसबंदी भत्ता केवल आयुर्विज्ञान स्नातकों के लिए ।

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	50 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मु-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और	जो हां

(6)

निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : ज्येष्ठ प्राध्यापकों, उपाचार्यों और आचार्यों की श्रेणियों में आयुर्विज्ञान अर्हताओं वाले अध्यापकों की संख्या, इन श्रेणियों में पदों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : 1.क (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 (1956 का 102) की किसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और वह किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो। क (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम डी (भेषज गुण विज्ञान)/पी. एच. डी. (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान) के साथ एम बी बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम एस सी (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान) या समतुल्य। ख (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी.एच. डी. (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान)/डी. एस. सी. (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान) या समतुल्य। 2. (iii) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/शिक्षण संस्था में सहायक आचार्य/ज्येष्ठ प्राध्यापक/प्राध्यापक के रूप में स्नातकोत्तर अर्हता अर्जित करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में पांच वर्ष का शिक्षण का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हता : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

(8)

समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

वांछनीय :

कम से कम चार अनुसंधान प्रकाशन जो इंडैक्स मैडीकस/राष्ट्रीय जर्नलों में अनुक्रमणिका बद्ध हो ।

(11)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (इसमें अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(12)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सम्मिलित है) :

(1) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/ कानूनी निकायों/स्वशासी संगठनों/ अनुसंधान संस्थाओं के ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ।

या

(ii) जो 14300-18300 रु. के वेतनमान या समतुल्य में के पदों पर दो वर्ष नियमित सेवा कर चुके हैं; और

(ख) जो स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं रखते हों।

(2) ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज गुण विज्ञान) की श्रेणी के ऐसे विभागीय अधिकारी जो उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों पर भी बाहय व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरी गई समझी जाएगी ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

(प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाहय पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने को अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

(13)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) :

1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन —अध्यक्ष
2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य
3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य
4. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ के संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष —सदस्य

(14)

प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज गुण विज्ञान)	1* (2002) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	14300-400-15900-450-18150 रु. जमा प्रैक्टिस-बंदी भत्ता केवल आयुर्विज्ञान स्नातकों के लिए

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	50 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण : ज्येष्ठ प्राध्यापकों, उपाचार्यों और आचार्यों की श्रेणियों में आयुर्विज्ञान अर्हताओं वाले अध्यापकों की संख्या इन श्रेणियों में पदों की कुल संख्या के तीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	नहीं

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : 1 (क) (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की किसी एक अनुसूची में सम्मिलित कोई आधारिक विश्वविद्यालय या समतुल्य अर्हता और वह किसी राज्य चिकित्सक रजिस्टर या भारतीय चिकित्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हो। क (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से एम डी (भेषज गुण विज्ञान) / पी. एच. डी. (आयुर्विज्ञान भेषज गुण विज्ञान) के साथ एम बी बी एस या समतुल्य या ख (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम एस सी (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान) या समतुल्य	लागू नहीं होता	एक वर्ष

8
ख (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पी. एच. डी. (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान)/ डी. एस. सी. (चिकित्सीय भेषज गुण विज्ञान) या समतुल्य। (2) किसी मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/ शिक्षण संस्था में प्राध्यापक/रजिस्ट्रार/ज्येष्ठ रैजीडेंट/निदर्शक/अध्यापक के रूप में स्नातकोत्तर अर्हता अर्जित करने के पश्चात् संबंधित विशेषज्ञता में तीन वर्ष का शिक्षण का अनुभव। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) :— 1. गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन —अध्यक्ष 2. सचिव, आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान चंडीगढ़ प्रशासन —सदस्य 3. प्रधानाचार्य, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ —सदस्य 4. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ के संबंधित विभाग का आचार्य और विभागाध्यक्ष —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[सं. वी. 24011/11/2002-एम ई डैस्क II]

एस.के. मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 27th November, 2002

G.S.R. 507 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Professor (Pharmacology), Reader (Pharmacology) and Senior Lecturer (Pharmacology) in the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Pharmacology), Reader (Pharmacology) and Senior Lecturer (Pharmacology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay
1	2	3	4
1. Professor (Pharmacology)	01* (2002) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 18600-500-22,100- Plus Non-practicing Allowance only for Medical Graduates.

Whether Selection by merit or Selection-cum-seniority or Non-Selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
5	6	7
Not applicable.	Not exceeding fifty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	Yes.

6
Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
Note 1 : The strength of teachers in the grade of Senior Lecturers, Readers and Professors with Non-Medical qualifications shall not exceed 30% of the total number of posts in these grades.
Note 2 : In the event the post of Professor is designated as Head of Department, only teachers with recognised basic university medical degree qualification or equivalent qualification shall be appointed to the post.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	9	10
Essential : I. A. (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register; (ii) M.D. (Pharmacology)/MBBS with Ph.D. (Medical Pharmacology) from a recognised University/Institution or equivalent; OR B. (i) M.Sc. (Medical Pharmacology) from a recognised University or equivalent. (ii) Ph.D. (Medical Pharmacology)/D.Sc. (Medical Pharmacology) from a recognised University/Institution or equivalent. II. Ten years experience in the profession after acquiring Post-graduate qualification, out of which four years should be as Reader/Associate Professor in a Recognized Medical College/Teaching Institution. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates	Age : No. Educational qualifications : yes.	One year for direct recruits.

8
from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. Desirable :— Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals and one Research Publication in International Journals.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Promotion/deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	Promotion/deputation (including short-term contract) : I. Officers of the Central /State Governments/Union Territories/ Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with two year's regular service in posts in the scale of pay of Rs. 16400-20000/- or equivalent; and (b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8). II. The Departmental Officer in the grade of Reader (Pharmacology) with two year's regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. [Period of Deputation/Contract including period of Deputation/ Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years'. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of the receipt of applications.]

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (For considering Confirmation) : 1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman 2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration. — Member 3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh. —Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(1)	(2)	(3)	(4)
.. Reader (Pharmacology)	01* (2002) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 16350–450–18600–500–20100 plus Non-practicing Allowance. Only for Medical Graduates.

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not exceeding fifty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 1 : The strength of teachers in the grade of Senior Lecturers, Readers and Professors with non-medical qualifications shall not exceed 30% of the total number of posts in these grades.	Yes

(8)	(9)	(10)
Essential : I. A. (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register; A. (ii) M.D. (Pharmacology)/MBBS with Ph.D. (Medical Pharmacology) from a recognised University/Institution or equivalent. OR B. (i) M.Sc. (Medical Pharmacology) from a recognised University or equivalent; B. (ii) Ph.D. (Medical Pharmacology)/D.Sc. (Medical Pharmacology) from a recognised University/Institution or equivalent; II. Five years teaching experience in the concerned speciality after acquiring Post-graduate qualification as Assistant Professor/Senior Lecturer/Lecturer in a recognized Medical College/Teaching Institution. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service	Age : No. Educational Qualifications : Yes.	One year for direct recruits.

(8)

Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable :

Minimum four Research Publications indexed in Index Medicus/National Journals.

(11)

Promotion/deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

(12)

Promotion/deputation (including short-term contract) :

I. Officers of Central/State Governments/Union Territories/Statutory Bodies/Autonomous Organizations/Research Institutions :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with two years regular service in posts in the scale of pay of Rs. 14300—18300 or equivalent; and

(b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (8).

II. The Departmental Officer in the grade of Senior Lecturer (Pharmacology) with two years regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he/she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

The Departmental Officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of Deputation/Contract including period of Deputation/Contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six year's as on the closing date of receipt of applications).

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :

1.	Home Secretary, Chandigarh Administration	—Chairman
2.	Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration	—Member
3.	Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh	—Member
4.	Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh	—Member

(14)

Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Senior Lecturer (Pharmacology)	01* (2002) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 14300–400–15900–450–18150/ Plus Non-practicing Allowance only for Medical Graduates.

(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not exceeding fifty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 1 : The strength of teachers in the grades of Senior Lecturers, Readers and Professors with Non-Medical qualifications shall not exceed 30% of the total number of posts in these grades.	No

(8)	(9)	(10)
Essential : I. A. (i) A basic University or equivalent qualification included in any one of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) and must be registered in a State Medical Register or Indian Medical Register; A. (ii) M.D. (Pharmacology)/MBBS with Ph.D. (Medical Pharmacology) from a recognized University/Institution or equivalent. OR B. (i) M.Sc. (Medical Pharmacology) from a recognised University or equivalent; B. (ii) Ph.D. (Medical Pharmacology)/D.Sc. (Medical Pharmacology) from a recognised University/Institution or equivalent. B. (iii) Three years teaching experience in the concerned speciality after acquiring Post-graduate qualification as Lecturer/Registrar/Senior Resident/Demonstrator/Tutor in a recognized Medical College/Teaching Institution. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	One year.

(8)

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. If at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(11)

Direct Recruitment.

(12)

Not applicable.

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for Considering Confirmation) :

1. Home Secretary, Chandigarh Administration —Chairman
2. Secretary, Medical Education and Research, Chandigarh Administration. —Member
3. Principal, Government Medical College and Hospital, Chandigarh. —Member
4. Professor and Head of the concerned Department of Government Medical College and Hospital, Chandigarh. —Member

(14)

Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[No. V. 24011/11/2002–ME Desk–II]

S. K. MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 323.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्वि महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (भेषज गुण विज्ञान), उपाचार्य (भेषज गुण विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज गुण विज्ञा (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (भेषज गुण विज्ञान), उपाच (भेषज गुण विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (भेषज गुण विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (भेषज गुण विज्ञान), उपाचार्य (भेषज गुण विज्ञान) और ज्ये प्राध्यापक (भेषज गुण विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में क्र संख्यांक 2 में वर्णित पद के सामने,—

(i) स्तंभ 8 के अधीन "(iii)" शब्द के स्थान पर "2" रखा जाएगा।

3. उक्त नियम में क्रम संख्यांक 3 में वर्णित पद के सामने स्तंभ 8 के अधीन "ख(iii)" अक्षरों के स्थान पर "II" अंक रखे जाएं

[सं. वी. 24011/11/2002-एम ई डेस्क-II]
एस. के. मिश्रा, अवर सचि

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 507 तारीख 27 नवंबर, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 17th September, 2004

G.S.R. 323.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the Presider hereby makes the following rules to amend the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professo (Pharmacology), Reader (Pharmacology) and Senior Lecturer (Pharmacology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitmen Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professo (Pharmacology), Reader (Pharmacology) and Senior Lecturer (Pharmacology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitmen (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Government Medical College and Hospital, Chandigarh, Professor (Pharmacology), Reader (Pharmacology) and Senior Lecturer (Pharmacology), (Group 'A' Gazetted Posts) Recruitment Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), against the post appearing at serial number 2,—

(i) under column 8, the word "(iii)" shall be substituted as "2".

3. In the said rules against the post appearing at Serial number 3, under column 8, for letters "B(iii)", the figures "II" shall be substituted.

[No. V. 24011/11/2002-ME Desk-II]
S.K. MISHRA, Under Secy.

Foot note : The Principal rules were published vide number G.S.R. 507 dated the 27th November, 2003.

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 324.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान), उपाचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर क्रिया विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2002, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल, चंडीगढ़ आचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान), उपाचार्य (शरीर क्रिया विज्ञान) और ज्येष्ठ प्राध्यापक (शरीर क्रिया विज्ञान), (समूह 'क' राजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2004 है।